रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1550] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2016/ज्येष्ठ 31, 1938
No. 1550] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2016/JYAISTHA 31, 1938

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2016

का.आ. 2163(अ).—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा श्री अजीत एस. ईनामदार, अधिवक्ता को बंबई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध लाए गए सभी दांडिक मामलों का, जिनके अंतर्गत दांडिक रिट याचिकाएं, दांडिक अपीलें, दांडिक पुनरीक्षण, दांडिक निर्देश और दांडिक आवेदन शामिल हैं, संचालन करने के प्रयोजन के लिए इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वे अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान बंबई उच्च न्यायालय में भारत संघ या केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या कार्यालय के विरूद्ध हाजिर नहीं होंगे, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. जे-11023/1/2015- न्यायिक]

जी. एस. यादव, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2016

S.O. 2163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Ajit S. Inamdar, Advocate as Additional Public Prosecutor for the purpose of conducting all criminal cases including criminal writ petitions, criminal appeals, criminal revisions, criminal references and criminal applications by or against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in the High Court of Bombay, with effect from the date of publication of this notification for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, subject to the condition that Shri Ajit S. Inamdar, Advocate shall not appear against the Union of India or any Department or Office of the Central Government in any criminal case referred to above in the High Court of Bombay during the period of his appointment.

[F. No. J-11023/1/2015-JUDICIAL]

G. S. YADAV, Jt. Secy. and Legal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.